न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/20/2018

ताहिर खान उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सहसन तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी,भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी,भरतपुर दिनांक 14–05–2018

उपस्थित :–

श्री विमल सिंह अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय दिनांक 27.2.2019

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 14–05–2018 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषाक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध है। उनका कहना है कि तहत न्यायालय अपने आदेश में किसी भी प्रकार से कोई आरोप अपीलान्ट सिद्ध नहीं किये हैं और ना हीं अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार से किसी भी आरोप को सिद्ध मानने के लिये कोई विवेचन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उभोक्ताओं के शपथ पत्र तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनकी सत्यता के लिये प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच कराई गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने शपथ पत्रों को सही होने की जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश की गई। तहत न्यायालय ने जिसे अनदेखा कर दिया गया । तहत न्यायालय को अगर कोई सन्देह था उन्हें सम्बन्धित उपभोक्ताओं को तलब कर बयान वगेरा लेने चाहिये थे। तहत न्यायालय ने मात्र प्रस्तुत प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर दोषी करार देना कानून गलत है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि सभी उपभोक्ताओं को आनलाईन वितरण किया गया है। सभी शिकायतकर्ताओं ने सामग्री प्राप्त करने बाबत अपने शपथ पत्र तहत न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। केवल कुछ उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं होने मात्र

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

Web Copy - Not Official

से अपीलान्ट को दोषी नहीं माना जा सकता है जब कि सम्बन्धित उपभोक्ता ने अपने शपथ पत्र में सामग्री प्राप्त करना स्वीकार किया है। राज. सरकार द्वारा आनलाईन से वितरण सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा अपना अगूंठा निशान लगाये जाने के उपरान्त ही सामग्री वितरण होता है उसका मैसेज सम्बन्धित उपभोक्ता के मोबाईल पर जाता है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब ही लागू होता है जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावें। यहॉ सामग्री नहीं मिलने की झूठी शिकायत की गई थी। अपीलान्ट पर कोई कालाबाजारी या गबन करने का कोई गंभीर आरोप नहीं है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं के शपथ पत्र बाद की सोच के तहत पेश किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश विधिवत पारित किया गया है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः **आदेश** है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27-2-2019 को सुनाया गया ।

(डॉ. अरुषा मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official